राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1177/2016/जयपुर.
2. अपील संख्या – 1178/2016/जयपुर.
3. अपील संख्या – 1179/2016/जयपुर.
4. अपील संख्या – 1180/2016/जयपुर.
5. अपील संख्या – 1181/2016/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत–द्वितीय, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड,
ई–169, रोड़ नं0 9, वी.के.आई.ए., जयपुर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 05/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त पाँचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 358, 359, 360, 361 व 362/अ.प्रा.–।।/आरवीएटी/जयपुर/2015–16 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 21.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2010–11 से 2014–15 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 22.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं।

2. इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति सभी पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 23.01.2015 को किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.09.2015 को पारित करते हुए यह माना गया कि प्रत्यर्थी द्वारा

लगातार.....2

LED Street Light की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए की गयी है, जबकि उक्त माल वेट अधिनियम की किसी भी अनुसूची में प्रविष्ट नहीं होने के कारण इस पर वेट अधिनियम की अनुसूची—V अनुसार करदेयता बनती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल पर 14 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए, 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तद्नुसार ब्याज एवं करापवंचन की मंशा मानते हुए धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उनके द्वारा विवादित माल की बिक्री 14 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए ही की गयी है एवं तद्नुसार ही राजकोष में कर जमा करवाया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आलौच्य अवधियों में LED Street Light की बिक्री की बिलवाईज सूची भी पेश की, जिसके अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाना पाया गया। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आधार पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया कि उक्त तथ्यों की जांच उपरान्त पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जावें। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा LED Street Light की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए की गयी है, जबकि उक्त माल पर 14 प्रतिशत की दर से करदेयता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने एवं अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

6. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु मात्र यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में LED Street Light की बिक्री 5 प्रतिशत से की गयी है अथवा 14 प्रतिशत की दर से। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष आलौच्य अवधियों की बिलवाईज सूची प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा विवादित माल की बिक्री 14 प्रतिशत से किया

लगातार.....3

जाना स्पष्ट होता है। उक्त तथ्य से प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया था, इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथ्यों की जांच किये बिना 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतया विधिविरूद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना कि उक्त तथ्य की जांच के पश्चात् पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जावें, में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

7. प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लेना आश्चर्यजनक है। प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सुनवाई के दौरान बिलों की सूची पेश कर दी गई थी कि व्यवहारी का 14 प्रतिशत का ही दायित्व है एवं उसके द्वारा 14 प्रतिशत से ही कर वसूल किया गया है एवं इसी आधार पर केवल बिलों की जांच करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे जिससे कोई संशय नहीं रहे। इस तरह अपीलीय आदेश में केवल साक्ष्यों की जांच करने के निर्देश दिये गये थे क्योंकि स्वयं व्यवहारी ने कर दर 14 प्रतिशत स्वीकार की हुई थी। इस तरह एक गलत कर निर्धारण में पुनः जांच करने का निर्देश था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के आदेश जारी करने वाले अधिकारी द्वारा आदेश के परीक्षण के बिना द्वितीय अपीलें पेश की हैं, जो सोचनीय है एवं लिटिगेशन को बढ़ाने मात्र का कार्य है। कर निर्धारण अधिकारी को यह श्रम करना चाहिये था कि वे इन तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच करते जो अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। इस तरह केवल लिटिगेशन में वृद्धि करने का अनुचित कार्य करते हुए जो अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, वो खारिज की जाती हैं एवं कर निर्धारण अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना कर पुनः आदेश पारित करें।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ अपीलार्थी राजस्व की पांचों अपीलें अस्वीकार कर जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 21.01.2016 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य